पत्र सं0–6 / पी० (आयुष)–17 / 2016–(Part) 18(20)ब / स्वा0

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक–03.11.2025

विषयः राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अनुपूरक आगणन के फलस्वरुप राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा के स्थापना पर अतिरिक्त व्यय हेतु कुल– **73,87,000 / – (तिहतर लाख सतासी हजार)** रूपए मात्र की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश सं0 11(20)ब दिनांक 13.06.2025 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम अनुपूरक आगणन के फलस्वरुप राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के स्थापना पर व्यय हेतु कुल–**73,87,000 / – (तिहतर लाख सतासी हजार)** रूपए मात्र के अतिरिक्त राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती हैः–

क्रमांक	**इकाई**	**विपत्र कोड**	स्वीकृत अतिरिक्त राशि
1	देशी यात्रा व्यय	20S 2210-02-200-02-02-02-13	1,18,000
2	कार्यालय उपकरण	20S 2210-02-200-02-02-03-17	34,59,000
3	छात्रवृति / वजीफा	20S 2210-02-200-02-02-06-50	38,10,000
	कुल योग		**73,87,000**

2. इस स्वीकृति के आलोक में आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा । आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी प्राचार्य, राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा होंगे तथा अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे ।

18(20)ब
03/11/2025

(शिवजी वर्मा)
अवर सचिव।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव।

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

3. इन स्थापना हेतु आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार यथा– गोड्डा कोषागार से वित्त विभागीय आदेश सं०– 2561वि०(2), दिनांक– 17.04.98 एवं 1800, दिनांक– 15.07.2003 के आलोक में सभी नियमो का निर्वहन करते हुए किया जाएगा।

4. व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट **"मुख्य शीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 02– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ– 200– अन्य पद्धतियाँ– 02– देशी आयुर्विज्ञान निदेशालय– राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह तथा राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा– 02– राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय अस्पताल, गोड्डा तथा राजकीय यूनानी महाविद्यालय अस्पताल, गिरिडीह के स्थापना व्यय** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2025–26 में प्रथम अनुपूरक आगणन के फलस्वरुप उपबंधित राशि से होगा।

5. राशि का व्यय वित्तीय नियमावली एवं समय–समय वित्त विभाग द्वारा निर्गत सरकारी आदेशों/विभागीय आदेशों के अनुरूप सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा । इसका पूर्ण दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी ।

6. यह एक चालू योजना है। मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक 1269, दि0– 21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृति दी जा रही है ।

7. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या– 6/पी० (आयुष)–17/2016 (Part) 18(20) व राँची, दिनांक –03.11.2025

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना तथा विकास विभाग/वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/उपायुक्त, गोड्डा/निदेशक, आयुष, आयुष निदेशालय, राँची/माननीय मंत्री स्वा०, चि० शि० एवं प० क० विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा/जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा/कम्प्यूटर सहायक, योजना बजट प्रशाखा, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)	**(ध्रुव प्रसाद)**	**(विद्यानंद शर्मा पंकज)**	**(अजय कुमार सिंह)**
अवर सचिव।	**उप सचिव।**	**अपर सचिव।**	**अपर मुख्य सचिव।**

18(20) व
03/11/2025